दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3-7-19	वादी की ओर से मय वाद पत्र श्रीराम गोपाल कुमावत Adv ने पेश किया। रिपोर्ट तस्दीक की गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 10/7/19 को पेश हो। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
10/7/19	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त .... हैं। पत्रावली का आदेशानुसार दि. 17/7/19 को पेश हो। (रीडर)	
17/7/19	वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र 151 CPC पेश किया। जिस पर भी बहस सुनी गई। बाद आदेश पत्रावली दिनांक 23/7/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
23-7-19	वकील उभय पक्ष उप०। लिहाजा वादी के हक में डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से लिखाया जाकर शामिल (?) किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :— 39/2019

उनवान

सुनील प्रसाद शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा निवासी ग्राम छापुडा कलां तह0 शाहपुरा जयपुर

वादी

बनाम

1. रामकरण शर्मा दत्तक पुत्र बालासहाय शर्मा
2. दिनेश पुत्र रामकरण शर्मा
3. महेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण शर्मा
4. विष्णु कुमार पुत्र रामकरण शर्मा
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम छापुडा कलां तह0 शाहपुरा जयपुर
5. सुशीला देवी पुत्री रामकरण शर्मा नि0 ग्राम छापुडा कलां तह0 शाहपुरा जयपुर
हाल निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला, चौमू, तह0 चौमू जिला जयपुर
6. सरोज देवी पुत्री रामकरण शर्मा नि0 ग्राम छापुडा कलां तह0 शाहपुरा जयपुर
हाल नि0 ग्राम पुरावाला, तह0 विराटनगर जिला जयपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर
8. मैना देवी पत्नी रामकरण शर्मा नि0 छापुडा कलां, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए—1955

निर्णय दिनांक: 23.07.2019

दावा संक्षेप में यह है कि आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 0.36 है0, 848 रकबा 0.31 है0, 849 रकबा 0.44 है0, 850 रकबा 0.02 है0, 884 रकबा 0.41 है0, 885 रकबा 0.51 है0, कुल किता 6 रकबा 2.05 है0 वाकै ग्राम छापुडा कलां पटवार हल्का छापुड़ा खुर्द तह0 शाहुपरा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त हाल खसरा नम्बर हाल सेटिलमेन्ट में साबिक ख.नं. 582 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा तथा साबिक ख.नं. 591 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा से कायम किये गये है। जिसकी सम्पूर्ण खातेदारी में हिस्सा सम्पूर्ण वादी के दादा बालासहाय पुत्र झूंथाराम व उसके बाद दादी भूरी पत्नी बालासहाय के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। बालासहाय के फौत हो जाने पर उक्त भूमि के विरासत का नामान्तकरण भूरी पत्नी बालासहाय के नाम खुला है तथा खातेदार भूरी पत्नी बालासहाय के फौत हो जाने के बाद वादी व प्रतिवादी सं0 2 लागायत 6 के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम विरासत का नामान्तकरण खुलने पर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। उक्त सम्पूर्ण भूमि की प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड अधिकार अभिलेख(जमाबन्दी) में दर्ज है। उक्त विवादित आराजी वादी की पैतृक दादालाई सम्पति है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत व हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन अधिनियम) 2005 का क्रमांक 39 के तहत प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि में से वादी सं0 1 का हिस्सा 1/7 काल्पनिक निहित है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड दर्ज होने की वजह से प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 ने प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध भड़का रखा है तथा उक्त विवादित आराजीयात को बेचान कर देने को आमादा फिसाद है।

उक्त विवादित आराजीयात वाद अधिन मुतवादिया वादी की पैतृक संयुक्त हिन्दु खानदान की भूमि है जिसका आज तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी सं. 1 बिना पारिवारिक वैद्य आवश्यकता के बिना वादी की सहमति के वाद अधिन मुतवादिया सम्पूर्ण हो अपने हिस्से से अधिक भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर अमादा है। जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है।

आराजी मुतनाजा वादी की पैतृक सम्पति होने से वादी का प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 के साथ संयुक्त रूप से कब्जा व हक अधिकार वाद अधिन मुतवादिया में निहित है। वादी का उक्त वाद अधिन मुतवादिया में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से हक अधिकार है उक्त भूमि वादी के दादा श्री बालासहाय के पुत्र झूंथा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है वादी का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:-

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

बाला सहाय पुत्र झूंथाराम

मूली देवी (पत्नी) फौत — रामकरण(दत्तक पुत्र)

हंसा देवी पुत्री | सरोज देवी पुत्री | दीपक पुत्र | महेन्द्र पुत्र | गिर्राज पुत्र | विष्णु पुत्र | मैनादेवी पत्नी

इस प्रकार उक्त खानदान के मुताबिक भी वादी बाला सहाय के सहदायिक होने से वाद अधिन मुतवादिया [illegible] हक अधिकार रखते है किन्तु प्रतिवादी सं0 1 अपने नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज होने के कारण प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 के बहकावे में आकर सम्पूर्ण भूमि को बेचान करने को अमादा है।

यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 अपने अवैध मंसूबों में सफल हो गये तो वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होना तथा वादी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा वादी अपने विधिक अधिकारों से महरूम होना पडेगा अर्थात् वादी को अपूर्णनीय क्षतिकारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी [illegible] में संभव नही हो सकेगी तथा वादी की अनावश्यक मुकदमें बाजीयों में फ़ंसना पडेगा। इसलिए न्यायहित में उक्त विवादित भूमि में से वादी को 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

उक्त विवादित भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति होने से तथा उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 के साथ संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने से तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बिना पारिवारिक वैद्य आवश्यकता के व बिना वादी की सहमति के अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने को अमादा होने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत जरिये नोटिस सूचित किया जाकर सुनवाई का उचित अवसर दिया गया । प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अपने अधिवक्ता जबावदावा पेश किया गया तथा दावे के समस्त बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने पर कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार वादपत्र डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। वकील वादी ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी0 वादी की माता मैना देवी को भी पक्षकार मुकदमा बनाया जाने हेतू पेश किया, जिसकी बहस सुनकर स्वीकार किया जाता है। मूल वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 8 लाल स्याही से मैना देवी पत्नी रामकरण को पक्षकार बनाया जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। विवादित भूमि पैतृक दादालाई सम्पति है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत व हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन अधिनियम) 2005 का क्रमांक 39 के तहत प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि में से वादी का हिस्सा 1/8 काल्पनिक निहित है। तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 व 8 का बराबर बराबर हिस्सा 1/8 काल्पनिक है।

अतः वादी का दावा डिक्री किया जाकर आराजी वादग्रस्त 847 रकबा 0.36 है0, 848 रकबा 0.31 है0, 849 रकबा 0.44 है0, 850 रकबा 0.02 है0, 884 रकबा 0.41 है0, 885 रकबा 0.51 है0, कुल किता 6 रकबा 2.05 है0 वाके ग्राम छापुडा कलां पटवार हल्का छापुड़ा खुर्द तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादी सं0 1 रामकरण दत्तक पुत्र बाला सहाय जाति ब्राहमण नि. छापुडा कलां के स्थान पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 6 व प्रतिवादी सं. 8 को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/8 – 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को [illegible] जारी हों । दावा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 39/2019

उनवान

[illegible] शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा निवासी ग्राम छापुडा कलां तह0 शाहपुरा जयपुर

वादी

बनाम

[illegible] शर्मा दत्तक पुत्र बालासहाय शर्मा
[illegible] पुत्र रामकरण शर्मा
[illegible] पुत्र रामकरण शर्मा
[illegible] पुत्र रामकरण शर्मा
[illegible] निवासी ग्राम छापुडा कलां तह0 शाहपुरा जयपुर
[illegible] पुत्री रामकरण शर्मा नि0 ग्राम छापुडा कलां तह0 शाहपुरा जयपुर
[illegible] मौहल्ला, चौमू, तह0 चौमू जिला जयपुर
[illegible] पुत्री रामकरण शर्मा नि0 ग्राम छापुडा कलां तह0 शाहपुरा जयपुर
[illegible], तह0 विराटनगर जिला जयपुर
[illegible] जरिये तहसीलदार शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर
[illegible] रामकरण शर्मा नि0 छापुडा कलां, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए–1955

अतः वादी का दावा डिक्री किया जाकर आराजी वादग्रस्त 847 रकबा 0.36 है0, 848 रकबा 0.31 [illegible] 0.44 है0, 850 रकबा 0.02 है0, 884 रकबा 0.41 है0, 885 रकबा 0.51 है0, कुल किता 6 [illegible] वाके ग्राम छापुड़ा कलां पटवार हल्का छापुड़ा खुर्द तह0 शाहुपरा जिला जयपुर में प्रतिवादी [illegible] दत्तक पुत्र बाला सहाय जाति ब्राहमण नि. छापुडा कलां के स्थान पर वादी तथा प्रतिवादी [illegible] 6 व प्रतिवादी सं. 8 को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/8 – 1/8 हिस्से के खातेदार [illegible] किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को [illegible] । दावा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

[illegible]

[illegible]	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
[illegible]		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	